


संशोधित प्रेस विज्ञप्ति

विषय :- अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ23(34) लेखा/ आकाशि/ छात्रवृत्ति/ 2020-21/ 2202-2211 दिनांक:-22.01.2021 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसमें महाविद्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रण की अंतिम तिथि 15.02.2020 के स्थान पर 15.02.2021 एवं महाविद्यालय से आयुक्तालय में आवेदन पत्र जमा की अंतिम तिथि 25.02.2020 के स्थान पर 25.02.2021 पढा जावे।


(संदेश नायक, आई.ए.एस.)


आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2020-21/११३३-११५१

दिनांक :- 28/01/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निःशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निःशुल्क आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें।
5. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें।
6. राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी/तकनीकी विश्वविद्यालय एवं उनके संघटक महाविद्यालय।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान/प्राचार्य, संगीत संस्थान/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
8. समस्त संबंधित विद्यार्थी।
9. प्रभारी, वेबसाईट को अपलोड हेतु।


(एच.आर. पवार)
वित्तीय सलाहकार